

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सतर्कता अनुभाग

पावरबिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुडगाँव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महाराज,

निवेदन है कि मैं पावरबिड में व्याप भ्रष्टाचार की शिकायत
केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में किया था। जिसको केन्द्रीय सतर्कता
आयोग ने अपने पत्रांक 39546/2016 दिनांक 19-07-2016 की टी
कार्डवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरबिड को भेजा था।
लेकिन तीन वर्ष (03) से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक
धारा 18 पर कोई भी कार्डवाई होता नहीं आ रहा है।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि उस दौड़ाला
की निष्पक्ष जांच के लिए आवेदक को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी
में जांच करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर
करना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्न सूचनाएं
उपलब्ध कराएँ।

(1) जांच समाप्त हो गई है तो आवेदन से संबंधित फाइल की
दाखलगी उपलब्ध कराएँ।

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा I.P.O-20
दफ्तर का संलग्न कर भेज रहा हूँ। जिसकी सं-256284538 है।

पत्राचार का पता

कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पी० - गौलडी
मण्डल - मुरलीगंज
जिला - पूर्वीछोटा
पिन - 852122

(दिनांक)

विशालभाजन

कंचन कुमार

20-08-2019.

→ Vigilance
Sh. Kamal / Smt Heelan
29/8/19

